UGMAC- ऑनलाइन कॉउन्सेलिंग की प्रक्रिया

बी.सी.ई.सी.ई., बोर्ड द्वारा आयोजित की जानेवाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर मेधा-सह-विकल्प के अनुसार सीट आवंटन के लिये कॉउन्सेलिंग Offline mode से की जाती है । अब इस कॉउन्सेलिंग को Online mode द्वारा आयोजित किया जा रहा है ।

Online Counselling के लिये निम्नवत् प्रक्रिया को अपनाने की व्यवस्था वांछित होगी ;

(i) Online Counselling के लिये Valid अभ्यर्थियों का Registration / Option ।

(ii) प्राथमिकता अनुसार संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार / आरक्षण कोटिवार Option list प्रत्येक Valid registered candidate द्वारा जमा करना ।

(iii) प्राथमिकता अनुसार Final option list LOCK करना ।

(iv) BCECE, Board के Requirements और आवंटन प्रक्रिया के अनुसार Online Counselling mode से Seat allotment के लिये उपयुक्त software तैयार करना ।

(v) प्राथमिकतानुसार अन्तिम Option list के आधार पर मेधाक्रमवार Seat आवंटन करना ।

(vi) Provisional seat allotment order उपलब्ध कराने की व्यवस्था ।

(vii) BCECE Board द्वारा निर्धारित Rules / Regulations के अनुसार जिन अभ्यर्थियों को Provisional seat allotment हो गया उनके documents / Indentity की सम्यक जाँच करना

(viii) अभ्यर्थी / संस्थान द्वारा नामांकन की सम्पुष्टि करना ।

(ix) First round online counselling के आधार पर नामांकन उपरान्त Vacant Seats पर 2nd round online counselling / allotment किया जायेगा ।

(x) Allotment Remarks field में Allotted Candidate के Status जैसे (against UR Seat / UR against Category Seat Jump Over / Category against UR Seat Compensation / against Category/ on ST/SC/EBC/BC/EWS) किया जायेगा ।

क्र०पृ०उ०

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा, पर्षद
परीक्षावार नामांकन हेतु सीट आवंटन की प्रक्रिया

1. परीक्षा का नाम – NEET(UG)
2. कॉउन्सेलिंग का नाम – UGMAC
3. मेधा सूची –(i) NEET(UG) PCB Group (Medical / Dental / B.V.Sc. & A.H./ Ayurvedic/ Homeopathy / Unani) for Govt. Colleges.
   (ii) NEET(UG) PCB Group (Medical / Dental / B.V.Sc. & A.H./ Ayurvedic / Homeopathy /Unani) for Pvt. Colleges

4. सीटों का आवंटन मेधा सूचीवार / संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार / कोटिवार सीट वितरण विवरणी के अनुसार मेधा–सह–विकल्प के आधार पर किया जायेगा । सीटों की संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार / कोटिवार सीट वितरण विवरणी तथा Merit-list पर्षद द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

(a) Govt. Medical / Dental / B.V.Sc. & A.H./ Ayurvedic /Homeopathy / Unani College में केवल बिहार के स्थायी निवासी ही आवासीय अर्हता–प्राप्त हैं ।

(b) Private Medical / Dental /Ayurvedic /Homeopathy / Unani Collegeके लिये बिहार के स्थायी निवासी या बिहार के बाहर के निवासी दोनों आवासीय अर्हता–प्राप्त होंगे ।

(c) Govt. Medical College का Compensation Govt. medical college में होगा।

(d) B.V.Sc. / BDS पाठयक्रमों में Compensation नहीं होगा, क्योंकि बिहार में मात्र एक–एक ही संस्थान में इन पाठ्यक्रमों की पढ़ाई होती है ।

(e) B.A.M.S. / BUMS / B.H.M.S. पाठयक्रमों में Institution की संख्या एक से अधित होने की स्थति में Jump Over / Compensation Course wise अलग–अलग होगा, Single Institution रहने पर Jump Over / Compensation का नियम लागू नहीं होगा ।

(f) Private Medical / Dental College में आरक्षण का प्रावधान नहीं रहने के कारण सभी Allotment UR के मेधाक्रम पर होगा तथा किसी तरह का Compensation नहीं होगा ।

(g) कुछ Private Medical College में Minority (Muslim / Sikh & NRI) की सीटें आरक्षित रहती है, जिसकी विवरणी पर्षद द्वारा उपलबध करा दी जायेगी । Minority/NRI के Case में सम्बन्धित Minority / NRI Student का आवंटन मेधा–सह विकल्प के आधार पर UR Rank पर ही होगा इसके लिये किसी प्रकार का Compensation देय नहीं है । अन्त में जो Minority / NRI की सीटें बची रह जायेगी, वो राज्य सरकार से आदेश प्राप्ति उपरान्त ही UR के लिए Unreserved हो जायेगी ।

शेष पृष्ठ 3 पर

(h) **अभ्यर्थियों के लिये वांछित योग्यतायें / अर्हतायें :-**

(i) 10+2 / I.Sc. / Pre-Medical या समकक्ष परीक्षा में English (भाषा और साहित्य के रूप में) Physics, Chemistry, Biology (Botany and Zoology) / Biotechnology विषयों में अलग–अलग उर्त्तीण । सामान्य वर्ग के आवेदक को Physics, Chemistry, Biology / Biotechnology को एक साथ मिलाकर न्यूनतम 50% अंक किन्तु अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के आवेदक को Physics / Chemistry / Biology / Biotechnology को एक साथ मिलाकर 40% अंक प्राप्त होना चाहिए ।

(ii) उपरोक्त के अतिरिक्त NEET(UG) की परीक्षा के आधार पर बनाई गयी Unreserved (UR) में सम्मिलित अभ्यर्थियों को Physics / Chemistry / Biology विषयों को एक साथ मिलाकर कुल प्राप्तांक 50% से कम नहीं होना चाहिए । अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को Physics / Chemistry / Biology / Biotechnology को एक साथ मिलाकर कुल प्राप्तांक 40% से कम नहीं होना चाहिए ।

(iii) राजकीय तिब्बी कॉलेज, पटना के BUMS पाठ्यक्रम में नामांकन के लिये उल्लिखित शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त मैट्रिक / समकक्ष परीक्षा में उर्दू विषय के साथ उर्त्तीण होना आवश्यक है ।

(iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों, जिन्हें सिर्फ Lower Limbs की Locomotory से सम्बन्धित दिव्यांगता है, उनके लिये NEET(UG) की परीक्षा में Physics / Chemistry / Biology / Biotechnology को एक साथ मिलाकर कुल प्राप्तांक 45% से कम नहीं होना चाहिए । परन्तु अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के आवेदको की अर्हता (Eligibility), अर्हक (Qualifying) परीक्षा तथा प्रतियोगिता परीक्षा में 40% प्राप्तांक यथावत् होगी ।

(v) स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के पत्र के अनुसार भविष्य में राज्य सरकार / भारत सरकार / भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद / भारतीय दन्त परिषद / माननीय न्यायालय से यदि कोई आदेश / निर्देश प्राप्त होता है तो तदनुसार विचारोपरान्त कार्रवाई की जायेगी ।

(vi) MBBS / BDS / BAMS / BHMS / BUMS पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु NEET(UG) की परीक्षा वर्ष की 31 दिसम्बर को 17 वर्ष होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में Medical Council of India / राज्य सरकार के अद्यतन प्रावधान लागू होंगे ।

5. सीटों का आवंटन में बिहार के आरक्षण के नियमों के अनुसार अनारक्षित कोटि को कुल सीट का 50%., अनुसूचित जनजाति को 1%, अनुसूचित जाति को 16%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग को 18%, पिछड़ा वर्ग को 12% , आरक्षित वर्ग के महिला 03%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% [Reserved for economically Weaker Sections(EWS)], दिव्यांग के लिये 5% जो कुल सीटों में सम्मिलित है ।

क्र०पृ०उ०

Note : (a) Seats under EWS Category are for those candidates of General (UR) category who are not covered under any reservation category i.e. ST, SC, EBC, BC & RCG.

(b) Seats under DQ Category Candidates are included in their respective Category

6. अभ्यर्थियों को आरक्षण कोटि के निम्न क्रम में संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार / कोटिवार सीट वितरण विवरणी के अनुसार सीट आवंटन किया जाता है।

Disabled Quota (DQ)

Unreserved

ST

SC

EBC

BC

RCG

EWS

7. सीटों का आवंटन उपरोक्त वर्णित क्रम के अनुसार एवं Merit-cum-Choice के आधार पर ही किया जाना है ।

(i) दिव्यांग कोटा – चूँकि DQ. Category की सीटें उपलब्ध Total Seat में ही समाहित रहती है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी जिस अनारक्षित / आरक्षित कोटि से सम्बन्धित होते हैं, उन्हें उसी अनारक्षित / आरक्षित कोटि के सीट पर आवंटन किया जाता है। (उदाहरण स्वरूप यदि DQ Category का कोई अभ्यर्थी BC कोटि का है, तो उसे BC कोटि की सीट पर आवंटन होगा)। आरक्षित कोटि में सीट नहीं रहने पर Unreserved सीट पर आवंटन किया जाता है।

वैसे दिव्यांग अभ्यर्थी जिनका परीक्षा परिणाम DQ Category के अतिरिक्त, सामान्य कोटि या आरक्षित कोटि के Result में हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका आवंटन पहले DQ Seat पर merit-cum-choice के आधार पर होगा । उसके बाद उसी अभ्यर्थी को अनारक्षित कोटि / आरक्षित कोटि की कॉउन्सेलिंग में यदि DQ Counselling से आवंटित कोर्स से कोई Better Choice मिलता है तो उसको सीट आवंटित होगा, नहीं तो उनका DQ-Counselling में आवंटित सीट यथावत रह जायेगी । यदि उनका आवंटन DQ Counselling में होने के पश्चात् अन्य (सामान्य / आरक्षित) कोटि में होता है, तो ऐसी स्थिति में छोड़ी गयी DQ की सीट DQ Category से ही भरी जायेगी । **(If Seat not Filled in DQ at Disablity percentage 50 % and above then lower down it to 40%)**

(ii) Unreserved (अनारक्षित) कोटि :– अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिये Course / Institution का आवंटन **Merit-Cum-Choice** के आधार पर उनके द्वारा Registration की गयी Option list के अनुसार किया जायेगा ।

शेष पृष्ठ 5 **पर**

(iii) Reserved for Economically Weaker Section (EWS) :– ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़े वर्ग एवं पिछड़े वर्ग के लिए किये गए आरक्षण प्रावधानों से आच्छादित नहीं हैं, की पहचान, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में आरक्षण के लाभ के लिए की जायेगी ।

(iv) अनारक्षित कोटि की Merit List में आरक्षित कोटि के जो अभ्यर्थी अपने Merit के अनुसार सम्मिलित रहते हैं, उनको Meritorious Reserved Candidate अर्थात MRC Candidate कहा जाता है । ऐसे MRC अभ्यर्थियो को यदि अनारक्षित कोटि में choice के अनुसार सीट उपलब्ध नहीं है तो वांछित Choice के लिये उनसे सम्बन्धित आरक्षित कोटि की वांछित सीट का आवंटन कर दिया जाता है । इस प्रकार के Case को MRC Candidate द्वारा Jump Over Case कहा जाता है । इस प्रकार एक Jump Over के लिये अनारक्षित कोटि की एक सीट नीचे से Compensation के लिये Block रखी जाती है ।

MRC Girls अभ्यर्थियों का सीट आवंटन Course / Institution क्रमशः अनारक्षित उनके सम्बन्धित आरक्षित कोटि तथा RCG कोटि में उनके Preference एवं मेधा क्रमानुसार सीटों की उपलब्धता अनुसार की जायेगी । यहाँ यह उल्लेखनीय होगा कि RCG का Compensation, Reserved Category यथा ST, SC, EBC, BC से नहीं होगा । Compensation केवल UR to RCG होगा ।

यदि ST,SC,EBC,BC,RCG और EWS कोटियो में MRC Jump के कारण अनारक्षित कोटि में नीचे से कोटिवार Block की गई सीटें क्रमशः X_1, X_2, X_3, X_4, X_5,X_6 हो तो कुल Block सीटें X_T होंगी जबकि;

$$X_T = X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5 + X_6$$

UR Category के काउन्सेलिंग में जब Total Category का Jump Over Seat, UR (Seat) की Block सीटों के बराबर हो जाती हैं तो वैसी स्थिति में जिस मेधा क्रम पर सीटें बराबर हो जाती हैं, उस UR कोटि के मेधाक्रम के नीचे UR में प्रकाशित Result के विरूद्ध कोई आवंटन नहीं किया जायेगा।

पुनः इसके बाद Category में प्रकाशित मेधा सूची के अनुसार आवंटन प्रारंभ होगा ।

(v) आरक्षित कोटि :– आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिये उनकी सम्बन्धित आरक्षण कोटि की Merit List से मेधा क्रम के अनुसार Option list की प्राथमिकता आधारित Course / Institution आवंटित किया जायेगा ।

उपरोक्त सीट आवंटन के लिये उपलब्ध सीटें निम्नवत् होंगी ।

Category	**Seat available for option**	**No. of Seats to be allotted**
ST	Available Vacancies in ST Category + X_T	Available Vacancies + X_1
SC	Available Vacancies in SC Category +(X_T-X_1)	Available Vacancies + X_2
EBC	Available Vacancies in	Available Vacancies + X_3

क्र०पृ०उ०

	EBC Category +(X_T-X_1-X_2)	
BC	Available Vacancies in BC Category +(X_T-X_1-X_2-X_3)	Available Vacancies + X_4
RCG	Available Vacancies in RCG Category +(X_T-X_1-X_2-X_3-X_4)	Available Vacancies + X_5
EWS	Available Vacancies in EWS Category +(X_T-X_1-X_2-X_3-X_4-X_5)	Available Vacancies + X_6

8. **बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अन्तर्गत बिहार भेटनरी कॉलेज में B.V.Sc. Course के लिये सीट आवंटन प्रक्रिया ।**

बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अन्तर्गत एक ही संस्थान यथा B.V.C, Patna और एक ही Course यथा B. V.Sc है ।

अत: सीट आवंटन के लिये B.V.C, Patna के B.V.Sc पाठ्यक्रमवार की सीट वितरण–विवरणी अनुसार मेधाक्रमवार सीट आवंटन की प्रक्रिया वही रहेगी, अंतर केवल इतना है कि एक ही संस्थान और एक ही पाठ्यक्रम रहने के कारण इसमें Jump Over Case नहीं हो सकेगा ।

9. **पटना डेन्टल कॉलेज में B.D.S. के लिये सीट आवंटन प्रक्रिया ।**

B.D.S. पाठ्यक्रम के लिये बिहार में एक ही संस्थान Patna Dental College, Patna है।

अत: सीट आवंटन के लिये P.D.C., Patna के B.D.S. पाठ्यक्रमवार की सीट वितरण–विवरणी अनुसार मेधाक्रमवार सीट आवंटन की प्रक्रिया वही रहेगी, अंतर केवल इतना है कि एक ही संस्थान और एक ही पाठ्यक्रम रहने के कारण इसमें Jump Over Case नहीं हो सकेगा ।

10. First round of Counselling के पश्चात् विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा Vacancy Position सीधे NIC के Portal पर उपलब्ध कराई जायेगी । किसी अभ्यर्थी का Category differ होने के कारण Category का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा, लेकिन अगले round के Counselling में मेधा–सह–विकल्प के आधार पर उन्हें UR की सीट आवंटित की जा सकेगी ।

11. प्रत्येक Round की Allotment प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात् NIC द्वारा विभिन्न प्रकार के Report को Generate करना अनिवार्य है । पर्षद द्वारा Generate किये जा रहे विभिन्न प्रकार के Report की छायाप्रति आपके सहज संदर्भ हेतु इस कॉउन्सेलिंग प्रक्रिया की विवरणी के साथ संलग्न है। आवश्यकतानुसार नए प्रकार के Reports यथा; Category wise / Institution wise / Course wise cut-off Rank तथा Updated Seat Vacancy Position आदि भी तैयार करवाई जा सकती है।